"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 282] रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 अगस्त 2018 — श्रावण 15, शक 1940

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–06/आठ–परि./2018. — छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम, 1994 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस के अवसान के पश्चात विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, परिवहन आयुक्त, तृतीय तल, सी–ब्लॉक, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन

उक्त नियमों में,–

नियम 76–क में, उप–नियम (9) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(9–क) यह कि अनुज्ञापत्र धारक, प्रक्रम यान में निःशक्त व्यक्ति के सुगमता से चढ़ने एवं उतरने हेतु व्यवस्था, जिसमें रैम्प, फुटबोर्ड, समुचित सीढ़ियां इत्यादि सम्मिलित है, संस्थापित करेगा:

परंतु यह कि प्रक्रम यान, जिसे पहले से ही परमिट प्राप्त है, के लिये ऐसी व्यवस्था स्थापित करने हेतु, इस उप–नियम के प्रवृत्त होने की नारीख से 90 दिवस का समय दिया जाता है।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार ध्रुर्वे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 1st August 2018

NOTIFICATION

No. F-5-06/VIII/Trans./2018. — The following draft of further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government, In exercise of the powers conferred by Section 65 of the Motor Vehicles Act,1988 (No. 59 of 1988), prupose to make, is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publications of this notifications in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person, before the specified period, in office hours in the office of the Transport Commissioner, Third Floor, C-Block, Indrawati Bhawan, Naya Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 76-A, after sub-rule (9), the following shall be inserted, namely :-

"(9-A) That the permit holder shall install in the stage carriage, arrangements which include ramp, footboard, proper stairs etc., for easily accessible boarding and de-boarding of persons with disability:

Provided that for the stage carriages which have already obtained permits, a period of 90 days from the date of coming into force of this sub-rule is granted, to establish such arrangements."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR DHURVE, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.